



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229345
CG-DL-E-01092021-229345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3259]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943

No. 3259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 सितम्बर, 2021

का.आ. 3562(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-ण की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 245त की उप-धारा (2), धारा 245थ की उप-धारा (4), धारा 245द की उप-धारा (8), धारा 245ध की उप-धारा (3), धारा 245न की उप-धारा (3), धारा 245प की उप-धारा (3) और धारा 245फ का परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उक्त परंतुक और उक्त उपधाराओं के प्रयोजन के लिए तारीख 01 सितम्बर, 2021 के रूप में नियुक्त करती है।

[अधिसूचना सं. 97/2021 /फा.सं. 370142/31/2021-टीपीएल(भाग II)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव